संख्या - 98/वीजीएल/25
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 22.11.2010

<u>कार्यालय आदेश 37/11/10</u>

विषय: आयोग को तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

उपर्युक्त विषय पर आयोग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.10.98, 20.07.2001 तथा 16.05.2005 का संदर्भ लें ।

2. यह आयोग के ध्यान में आया है कि या तो कुछ विभाग/संगठन तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत ही नहीं करते हैं अथवा जो प्रस्तुत करते हैं वो अपूर्ण रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं । तिमाही प्रगति रिपोर्ट ना प्रस्तुत करना तथ्यों को छुपाने के रूप में लिया जाएगा । अत: सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि विधिवत भरी हुई तथा केवल संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित तिमाही प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए व्यवस्था करें ।

3. यह भी प्रेक्षित किया गया है कि कुछ संगठन जो इलैक्ट्रानिक्स, कंप्यूटरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार अथवा अन्य विशिष्ट कार्यों से संबंधित कार्य कर रहे हैं; आयोग को इन कार्यों की रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं । संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी इन कार्यों को भी तिमाही प्रगति रिपोर्ट में शामिल करना सुनिश्चित करें ।

4. आगे, यह भी सूचित किया जाता है कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट, वर्तमान प्रपत्र में माइक्रोसॉफ्ट एक्सल वर्कशीट पर तैयार करें । आयोग एकसमान अनुप्रयोग साफ्टवेयर का प्रयोग करके तिमाही प्रगति रिपोर्ट को सुव्यवस्थित प्रस्तुत करने की समीक्षा के लिए विचार कर रहा है, जो यथा समय संबंधित वेबसाईट में डाला जाएगा ।

5. उपर्युक्त अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए ।

ह0/-

मुख्य तकनीकी परीक्षक
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
नई दिल्ली

सेवा में

मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बैंको/बीमा कंपनियों/स्वायत्त संगठनों/समितियों/संघ शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।